



सूचना (प्रारूप)

संदर्भ में: आयकर अधिनियम, 1961-2021 की धारा 10(26एए) के तहत आयकर छूट

- 1 विश्वविद्यालय के सभी सिक्किमी कर्मचारी, जो आयकर अधिनियम 1961-2021 की धारा 10 (26एए) के तहत आयकर छूट प्राप्त कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वित्त वर्ष 2022-23 में आयकर छूट का लाभ उठाना जारी रखने के लिए सिक्किम सरकार का उपयुक्त प्राधिकारी के द्वारा जारी वैध पहचान प्रमाण पत्र (सीओआई) की विधिवत प्रमाणित प्रति दिनांक 17 मई 2022 तक प्रस्तुत करें। मूल सीओआई प्रति आवश्यकता होने पर सत्यापन के लिए प्राधिकरण के समक्ष कर्मचारी द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- 2 वैध सीओआई जमा करते समय, कर्मचारी को अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए आयकर अधिनियम 1961-2021 की धारा 10 (26एए) के तहत आयकर छूट प्राप्त करने के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- 3 यह कर्मचारी की भी जिम्मेदारी होगी कि वह किसी भी वस्तु-स्थिति के परिवर्तन को विश्वविद्यालय को तत्काल सूचित करे ताकि उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26एए) के तहत छूट का लाभ उठाने से अयोग्य न हो पाए। किसी भी समय, यदि यह पाया जाता है / स्थापित होता है कि कोई कर्मचारी, जिसने उस अवधि के दौरान वास्तविक पात्रता के बिना पहले ही धारा 10 (26एए) के तहत छूट प्राप्त कर ली है, तो कर्मचारी उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य प्रशासनिक कार्रवाई के अलावा उस अवधि के दौरान उस पर लागू ब्याज/जुर्माने के साथ प्राप्त सभी लाभों को तुरंत लाभ को वापसके लिए जिम्मेदार होगा। यदि कर्मचारी इसे वापस करने में विफल रहता है, तो उसे विश्वविद्यालय से उसके किसी भी अगले बकाया से वसूल किया जाएगा।
- 4 आयकर अधिनियम, 1961 -2021 की धारा 10 (26एए) के तहत प्रावधान यह निर्धारित करता है कि वह व्यक्ति जो सिक्किमी होने के नाते, कोई भी आय जो उसे अर्जित या उत्पन्न करता है-
(क) सिक्किम राज्य में किसी भी स्रोत से; या
(ख) लाभांश या प्रतिभूतियों पर ब्याज के माध्यम से:

बशर्ते कि यह अधिनियम सिक्किम की उन महिला पर लागू नहीं होगी, जो 1 अप्रैल, 2008 को या उसके बाद, ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जो सिक्किमी नहीं है।

स्पष्टीकरण— इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, "सिक्किमीज" का अर्थ होगा—

- (i) वह व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम सब्जेक्ट्स रेगुलेशन, 1961 के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज है, जिसे अप्रैल, 1975 के 26 वें दिन से ठीक पहले सिक्किम सब्जेक्ट रूल्स, 1961 (इसके बाद "सिक्किम सब्जेक्ट्स का रजिस्टर" कहा गया है) के साथ पढ़ा गया है; या
 - (ii) वह व्यक्ति, जिसका नाम भारत सरकार के दिनांक 7 अगस्त, 1990 को जारी आदेश संख्या 26030/36/90-आई.सी.आई और सम संख्या दिनांक 8 अप्रैल, 1991 के आधार पर सिक्किम विषयों के सब्जेक्ट में शामिल है; या
 - (iii) कोई अन्य व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम सब्जेक्ट्स के रजिस्टर में नहीं है, लेकिन यह साबित किया जा सके कि उनके पिता या पति या दादा-दादी या एक ही पिता के भाई का नाम रजिस्टर में दर्ज किया गया है;
5. कर्मचारी को सीओआई प्रस्तुत करते समय सिक्किम विषय विनियमन अधिनियम, सिक्किम नागरिकता आदेश और संबंधित संशोधनों, अधिसूचनाओं आदि के संबंध में अपनी वर्तमान स्थिति की भी जांच करनी चाहिए ताकि ऐसी छूट प्राप्त करने के लिए वह पात्र हो।
 6. विश्वविद्यालय के सभी सिक्किमी कर्मचारियों से अनुरोध है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऐसी छूट का लाभ उठाना जारी रखने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी से विधिवत प्रमाणित प्रति दिनांक 7 मई 2022 तक सीओआई प्रस्तुत करें। निर्धारित समय के भीतर दस्तावेज जमा करने में विफल रहने पर कर में कोई भी छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी जो रहते हैं, जब तक कि वह इसे जमा नहीं करते हैं।
 7. कर्मचारी से अनुबंध I के रूप में संलग्न को घोषणा पत्र के साथ सीओआई जमा करने का अनुरोध किया जाता है।

भवदीय,



(प्रताप के. दाश)
वित्त अधिकारी

वितरण :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. परीक्षा नियंत्रक
4. पुस्तकालयाध्यक्ष
5. छात्र कल्याण डीन एवं सभी विद्यापीठों के डीन
6. अध्यक्ष/प्रभारी सभी विभाग, ईमेल द्वारा
7. सभी शैक्षणिक कर्मचारी, ईमेल द्वारा
8. सभी गैर-शैक्षणिक कर्मचारी, ईमेल द्वारा
9. वेबसाइट समिति, विश्वविद्यालय के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
10. सभी सूचना पट्ट
11. गार्ड फाइल